"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 सितम्बर 2011—भाद्र 25, शक 1933

# भाग 3 (1)

## विज्ञापन

### अन्य सूचनाएं

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, देवल सिंह ठाकुर आत्मज देवगुन सिंह उर्फ दैगुन सिंह, उम्र 51 वर्ष, निवासी ब्लाक 2, रूम-14, सड़क-6, से. 5, भिलाईनगर, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई में सीनियर आपरेटिव के पद पर पदस्थ हूं, मेरा पर्सनल नं. 146722 है. यह कि मेरे पिताजी का सही नाम हिन्दी में देवगुन सिंह अंग्रेजी में Dewgun Singh है. यह कि मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरे पिताजी का नाम देवगुन सिंह तथा कुछ दस्तावेजों में पिताजी का नाम दैगुन सिंह दर्ज हो गया है. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र के घोषणा पत्र, नामांकन पत्र एवं उपदान के भुगतान के लिए नामांकन फार्म में मेरे पिता का नाम Dewagun Singh Thakur दर्ज हो गया है जो कि स्पेलिंग मिस्टेक है. यह कि मेरे बैंक आफ बडौदा सिविक सेंटर, भिलाई के पास बुक में मेरा नाम अंग्रेजी में Deval Singh Takur एवं पिताजी का नाम अंग्रेजी में Devgun Singh Thakur दर्ज हो गया है वह गलत है. अत: उक्त गलत नाम के जगह मेरा सही नाम Dewal Singh Thakur एवं पिता का नाम सही नाम ठाकुर को विलोपित कर Dewgun Singh करवाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे देवल सिंह ठाकुर (Dewal Singh Thakur) आत्मज स्व. देवगुन सिंह (Dewgun Singh) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व समस्त दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

देवल सिंह ठाकुर (Deval Singh Takur)
आत्मज-स्व. देवगुन सिंह ठाकुर उर्फ दैगुन सिंह ठाकुर
( Dewagun Singh Thakur/Devgun Singh Thakur)
निवासी-ब्लाक 2, रूम 14, सड़क 6, सेक्टर 5
भिलाई नगर
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

**नया नाम**

देवल सिंह ठाकुर (Dewal Singh Thakur)
आत्मज-स्व. देवगुन सिंह (Dewgun Singh)
निवासी-ब्लाक 2, रूम 14, सड़क 6, सेक्टर 5
भिलाई नगर
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसांधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, एन. सी. मिश्रा, (निबारन चंद्र मिश्रा) आत्मज श्री टी. के. मिश्रा, उम्र 61 वर्ष, निवासी क्वा. नं. एच 877, कैलाश नगर जामुल, थाना जामुल, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने उपनाम मिश्रा को परिवर्तित कर अपना नाम एन. सी. हालदार (निबारन चंद्र हालदार) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे एन. सी. हालदार (निबारन चंद्र हालदार) आत्मज श्री टी. के मिश्रा के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

| पुराना नाम | नया नाम |
| --- | --- |
| एन. सी. मिश्रा | एन. सी. हालदार |
| आत्मज-श्री टी. के. मिश्रा | आत्मज-श्री टी. के. मिश्रा |
| निवासी-क्वा. नं. एच 877 | निवासी-क्वा. नं. एच 877 |
| कैलाश नगर, जामुल | कैलाश नगर, जामुल |
| थाना-जामुल, भिलाई | थाना-जामुल, भिलाई |
| तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) | तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) |

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सबिता मिश्रा धर्मपत्नी श्री एन. सी. मिश्रा, उम्र 45 वर्ष, निवासी क्वा. नं. एच 877, कैलाश नगर जामुल, थाना जामुल, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूं. मैं अपने उपनाम मिश्रा को परिवर्तित कर अपना नाम श्रीमती सबिता हालदार रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती सबिता हालदार धर्मपत्नी श्री एन. सी. हालदार के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

| पुराना नाम | नया नाम |
| --- | --- |
| श्रीमती सबिता मिश्रा | श्रीमती सबिता हालदार |
| धर्मपत्नी-श्री एन. सी. मिश्रा | धर्मपत्नी-श्री एन. सी. हालदार |
| निवासी-क्वा. नं. एच 877 | निवासी-क्वा. नं. एच 877 |
| कैलाश नगर, जामुल | कैलाश नगर, जामुल |
| थाना-जामुल, भिलाई | थाना-जामुल, भिलाई |
| तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) | तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) |

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, असीम मिश्रा आत्मज श्री एन. सी. मिश्रा, उम्र 31 वर्ष, निवासी क्वा. नं. एच 877, कैलाश नगर जामुल, थाना जामुल, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने उपनाम मिश्रा को परिवर्तित कर अपना नाम असीम हालदार रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे असीम हालदार आत्मज श्री एन. सी. हालदार के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

| पुराना नाम | नया नाम |
| --- | --- |
| असीम मिश्रा | असीम हालदार |
| आत्मज-श्री एन. सी. मिश्रा | आत्मज-श्री एन. सी. हालदार |
| निवासी-क्वा. नं. एच 877 | निवासी-क्वा. नं. एच 877 |
| कैलाश नगर, जामुल | कैलाश नगर, जामुल |
| थाना-जामुल, भिलाई | थाना-जामुल, भिलाई |
| तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) | तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) |

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं. लालमन गुप्ता पिता श्री बाबूलाल गुप्ता, आयु 47 वर्ष, निवासी वार्ड क्र. 22, आदर्श नगर केम्प-1 भिलाई, थाना छावनी, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे पुत्र विनोद कुमार गुप्ता जिसकी जन्मतिथि 10-1-1994 है जो कि कक्षा दसवीं में अध्ययनरत है, के शालेय, खेलकूद व अन्य दस्तावेजों में भूलवश विनोद कुमार आत्मज लालमन साहू अंकित हो गया है. यह कि मेरा पुत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने वाला है जिसमें वास्तविक व सही नाम विनोद कुमार गुप्ता पिता लालमन गुप्ता अंकित किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मेरे पुत्र को विनोद कुमार गुप्ता आत्मज लालमन गुप्ता के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व सभी दस्तावेजों में सुधार कर दर्ज किया जावे.

| पुराना नाम | नया नाम |
|---|---|
| विनोद कुमार<br>आत्मज-लालमन साहू<br>निवासी-वार्ड क्र. 22, आदर्श नगर<br>केम्प 1, भिलाई<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) | विनोद कुमार गुप्ता<br>आत्मज-लालमन गुप्ता<br>निवासी-वार्ड क्र. 22, आदर्श नगर<br>केम्प 1, भिलाई<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) |

# विविध

## अन्य सूचनाएं

### कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कबीरधाम (छ. ग.)

कवर्धा, दिनांक 25 अगस्त 2011

क्रमांक/उपंक/परि./2011/285.—सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं अंकेक्षण जिला कबीरधाम द्वारा अपने पत्र क्र. 57 दिनांक 26-6-2011 के माध्यम से यह अवगत कराया गया कि गांधी श्रमिक सहकारी समिति मर्या., राम्हेपुर, कवर्धा का अंकेक्षण कार्य वर्ष 08-09, 09-10 व 10-11 वर्तमान में लंबित है. अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण हेतु समिति अध्यक्ष/प्रबंधक को कई बार पत्र लिखा गया. कार्यालय द्वारा भी इस संबंध में पत्र क्रमांक 290 दिनांक 10-03-11 जारी किया गया. उसके अतिरिक्त मौखिक रूप से कई बार निर्देशित किया गया, किन्तु आज दिनांक तक समिति द्वारा अंकेक्षण कार्य हेतु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया.

उपरोक्त कृत्यों को समिति द्वारा पंजीयन की शर्तों की अवहेलना तथा सहकारी समिति अधिनियम 1960 व नियम अथवा उपविधि के अन्तर्गत दर्शाये गये कार्यों की अवहेलना मानते हुए छ. ग. सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 174 दिनांक 07-07-2011 के माध्यम से गांधी श्रमिक सहकारी समिति मर्या. राम्हेपुर के संचालक सदस्यों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर पत्र प्राप्ति के 15 दिवस की समयावधि में जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था.

समिति के 08 संचालकों को पंजीकृत डाक से सूचना पत्र प्रेषित किया गया था, किन्तु दिनांक 18-08-2011 को मात्र समिति अध्यक्ष का जवाब इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है. जिसके अवलोकन से प्रथम दृष्टया प्रस्तुत जवाब संतोषजनक प्रतीत नहीं होता है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, एम. के. ध्रुव, प्र. उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कबीरधाम, छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ. 05-01-99 पन्द्रह-1 डी दिनांक 26-07-99 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए गांधी श्रमिक सहकारी समिति मर्या., राम्हेपुर, कवर्धा को इस आदेश दिनांक से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री एन. के. चन्द्राकर पद वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से दिनांक 25-8-2011 को जारी किया गया है.

**एम. के. ध्रुव,**
प्र. उप पंजीयक.

---

## कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 18 अगस्त 2011

क्रमांक/परि./2011/1372.— आदिवासी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, बिलासपुर, पं. क्र. 47 दिनांक 05-03-1983 को संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार कार्यशील है. 104 सदस्यों के हित को ध्यान में रखते हुए संस्था को पुनर्जीवित किया जा कर सोसायटी अधिनियम/नियम एवं पंजीकृत उपविधि तथा समय-समय पर शासन द्वारा बनाये गये नियमों के तहत् कार्य करेगी. तत्संबंध में संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से मैं सहमत हूं.

अत: मैं, निर्मल तिर्की, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) शासन विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह (सी) दिनांक 26-07-1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (4) के तहत् आदिवासी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, बिलासपुर, पं. क्र. 47 दिनांक 05-03-1983 विकासखण्ड-बिल्हा, जिला-बिलासपुर को पुनर्जिवित करता हूं एवं आगामी निर्वाचन तक संस्था के कार्य संचालन हेतु तात्कालिक संचालक मण्डल को अधिकृत करता हूं.

**निर्मल तिर्की,**
उप पंजीयक.

---

## कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला- बस्तर, जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 25 अगस्त 2011

**(छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएं, अधिनियम की धारा 69 (1) के अन्तर्गत)**

क्रमांक/उ.पं. ज./परिसमापन/11/506.— कार्यालय वन कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जगदलपुर के पत्र क्र./03/जगदलपुर दिनांक 22-08-2011 के अनुसार वन कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जगदलपुर पंजीयन क्रमांक/ए. आर./बी. टी. आर./30/82 दिनांक 15-10-82 समिति द्वारा अब आगे कोई भी कार्य करने में असमर्थ है का लेख करते हुए समिति को समाप्त करने का निवेदन किया गया है.

अतएव मैं, एल. एल. ब्रिंज, प्र. उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, जिला-बस्तर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5/सहकारिता/15/2436 दिनांक 13-06-2001 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ऊपर वर्णित कारणों के आधार पर वन कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जगदलपुर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश पारित करता हूं तथा श्री एम. एल. नंदनवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा, जो आज दिनांक 25-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया है.

**एल. एल. ब्रिंज,**
प्र. उप पंजीयक.

## कार्यालय, परिसमापक, सहकारी समिति मर्या., बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 7 जून 2011

क्रमांक/परिसमापन/11/Q.—छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के उपनियम 57 (5) के तहत् यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि नोवा इम्प्लॉईज को.-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट एण्ड थ्रिफ्ट सहकारी समिति मर्या., वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर, पं. क्र. 3821, दिनांक 31-11-1996 के दावेदार/लेनदार अपने दावे मय लिखित में प्रमाण, 60 दिवस के भीतर कार्यालयीन समय में कार्यालय-संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्था का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देंवे अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

**महेन्द्र बन्दे,**
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

---

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2011.